भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3678

दिनांक 17.03.2021 को उत्तर देने के लिए

ईएमसीसी

3678. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रनः

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने एक विदेशी कंपनी ई.एम.सी.सी. के साथ एक समझौता ज्ञापन निष्पादित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से ई.एम.सी.सी. के ठिकानों का पता लगाने के लिए मदद की माँग की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार या भारतीय दूतावास ने इस संबंध में कोई जाँच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार या भारतीय दूतावास ने ई.एम.सी.सी. से संबंधित ब्यौरा केरल सरकार को भेजा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या केन्द्र सरकार ने यह पता लगाया है कि ई.एम.सी.सी. केरल सरकार के साथ एक समझौता करने के लिए एक विश्वसनीय कंपनी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री वी. मुरलीधरन)

(क) और (ख) केरल सरकार ने उक्त कंपनी, मैसर्स ईएमसीसी ग्लोबल कंसोर्टियम एलएलसी की साख के सत्यापन हेतु भारत सरकार से मदद मांगी थी। केरल सरकार द्वारा अन्य कोई जानकारी नहीं दी गई थी।

(ग) जी, हाँ। विदेश मंत्रालय ने न्यूयॉर्क स्थित भारत के महाकौंसुलावास (सीजीआई) को उक्त कंपनी की साख का सत्यापन करने का निदेश दिया था।

(घ) उक्त कंपनी की साख की जाँच के निष्कर्ष के बारे में न्यूयॉर्क स्थित भारत के महाकौंसुलावास (सीजीआई) ने 21 अक्तूबर, 2019 को और विदेश मंत्रालय ने 25 अक्तूबर, 2019 को ईमेल द्वारा केरल सरकार को सूचित कर दिया था। बाद में सीजीआई न्यूयॉर्क ने अलग से 6 नवंबर, 2019 को केरल सरकार को वही जानकारी पुनः संसूचित की थी।

(ङ) न्यूयॉर्क स्थित भारत के महाकौंसुलावास ने मैसर्स ईएमसीसी ग्लोबल कंजोर्टियम एलएलसी, न्यूयॉर्क के पते और साख की पुष्टि करने का प्रयास किया और 14 अक्तूबर, 2019 को पत्र भेजकर उनसे यह जानकारी मांगी। तथापि, उत्तर की तारीख, अर्थात् 21 अक्तूबर, 2019 को कंपनी से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ और इस प्रकार कंपनी के पते और उसकी साख का सत्यापन नहीं किया जा सका।

हालांकि, यह सूचित किया गया कि 535 फिफ्थ एवेन्यू, 4 था तल वाले पते पर कंपनी का एक वर्चुअल कार्यालय है, जो अल्पावधिक किराये पर और अन्य सचिवालयी सेवाओं के लिए है।

केरल सरकार को इस जानकारी से 21 अक्तूबर, 2019, उसके बाद 25 अक्तूबर, 2019 और फिर 6 नवंबर, 2019 को अवगत करा दिया गया था ।

***